राज्यपाल सचिवालय, बिहार
(जन–सम्पर्क शाखा)
राजभवन, पटना–800022

ई–मेल–pr.rajbhavan@gmail.com
prrajbhavanbihar@gmail.com
मोबाईल–9431283596

प्रेस–विज्ञप्ति

राज्य के महाविद्यालयों में वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में कठोर कार्रवाई होगी–राज्यपाल

पटना, 06 अक्टूबर 2018

महामहिम राज्यपाल–सह–कुलाधिपति श्री लाल जी टंडन ने पिछले सितम्बर महीने में कराये गये विभिन्न महाविद्यालयों के भौतिक निरीक्षण के दौरान पायी गई वित्तीय अनियमितताओं के विरूद्ध सख्त कदम उठाने के लिए संबंधित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कहा है। महामहिम राज्यपाल–सह–कुलाधिपति के निदेशानुसार संबंधित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र लिखकर राज्यपाल सचिवालय ने जाँच–रिपोर्ट में पायी गई वित्तीय त्रुटियों/आपत्तियों के निराकरण हेतु शीघ्र आवश्यक कार्रवाई का निदेश दिया है। राज्यपाल सचिवालय ने कहा है कि वित्तीय अनियमितता के ठोस मामलों को पूरी गंभीरता से लिया जाना चाहिए तथा संबंधित दोषियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।

जाँच के दौरान पटना विश्वविद्यालय में कुलपति, प्रतिकुलपति एवं कुलसचिव के प्रतिवेदनों में पटना साईंस कॉलेज, वाणिज्य महाविद्यालय एवं पटना कॉलेज में रोकड़ बही का संधारण अद्यतन नहीं पाया गया है। बी॰एन॰ मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा के अन्तर्गत पार्वती विज्ञान महाविद्यालय, मधेपुरा में 18.90 लाख रू॰ अग्रिम मद में तथा 12.53 लाख रू॰ असमायोजित अभिश्रव की राशि बतायी गई है। इसी विश्वविद्यालय के लक्ष्मीनाथ महाविद्यालय, सरहसा में रोकड़ बही में लंबित राशि की विवरणी अंकित नहीं है, साथ ही कमलेश्वरी विन्देश्वरी महिला महाविद्यालय, मधेपुरा की रोकड़ बही में भी वर्ष 2016–17 तक ही दर्जगी है तथा इसमें लंबित राशि की भी विवरणी अंकित नहीं है।

मुंगेर विश्वविद्यालय के अधीन आर॰डी॰ एवं डी॰जे॰ कॉलेज, मुंगेर, बद्रीनारायण मुक्तेश्वर कॉलेज, बड़हिया एवं एस॰के॰आर॰ कॉलेज, बरबीघा, शेखपुरा में जाँच के दौरान अभिश्रव (वाऊचर्स) समायोजित नहीं पाए गए हैं।

जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा के अन्तर्गत जाँच के दौरान राजेन्द्र कॉलेज, छपरा में रोकड़ बही दिसम्बर, 2015 तक ही अद्यतन पायी गई है। बी॰डी॰एस॰एम॰एम॰ कॉलेज, छपरा में भी रोकड़ बही, अग्रिम तथा असमायोजित अभिश्रवों के बारे में सूचना अप्राप्त है। कमला राय कॉलेज, गोपालगंज में भी वित्तीय अनियमितताओं की जाँच जरूरी बताई गई है। मौलाना मजहरूल हक अरबी–फारसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत फातिमा डिग्री कॉलेज, गोनपुरा, फुलवारी शरीफ में रोकड़ बही, अग्रिम एवं असमायोजित अभिश्रवों के बारे में कोई भी सूचना जाँच के दौरान अप्राप्त पायी गई है। इसी तरह पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अधीन आर॰पी॰एम॰ कॉलेज, पटना सिटी में भी रोकड़ बही का समुचित संधारण नहीं पाया गया है। वाणिज्य महाविद्यालय कला एवं विज्ञान, पटना में रोकड़ बही मार्च 2017 तक, जबकि ए॰एन॰ कॉलेज, पटना में मार्च, 2015 तक ही अद्यतन रूप से संधारित है। इन दोनों में राशि–समायोजन की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। मगध महाविद्यालय, चांडी, नालंदा में भी रोकड़ बही 31 मार्च, 2017 तक ही संधारित है। इसी तरह, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के अंतर्गत रामकृष्ण कॉलेज, मधुबनी में भी रोकड़ बही 8 मार्च, 2016 तक ही अद्यतन रूप से संधारित है। स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह शर्मा महाविद्यालय, बेगूसराय में भी रोकड़ बही मार्च, 2018 तक ही अद्यतन रूप से संधारित है।

आगे पृष्ठ....2 पर

वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा के अंतर्गत एम॰बी॰आर॰वी॰ कॉलेज, आरा में भी रोकड़ बही समुचित रूप से संधारित नहीं है तथा अभिश्रवों के समायोजन की सूचना अप्राप्त है। मगध विश्वविद्यालय, बोधगया के अधीन एस॰के॰एम॰ कॉलेज, जहानाबाद में रोकड़ बही समुचित रूप से संधारित नहीं है। टी॰एस॰ कॉलेज, हिसुआ तथा के॰एल॰एस॰ कॉलेज, नवादा में भी रोकड़ बही संधारण तथा अभिश्रव–समायोजन में अनियमितता पायी गई है।

राज्यपाल सचिवालय ने राज्य के सभी कुलपतियों को निदेशित किया है कि रोकड़ बही का विभिन्न महाविद्यालयों में अद्यतन नहीं रहना वित्तीय अनियमितता का ही दृष्टांत माना जाता है। ऐसी परिस्थिति में जाँच के दौरान पायी गई त्रुटियों के निराकरण के लिए शीघ्र कार्रवाई की जाये। किसी भी वित्तीय अनियमितता को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। राज्यपाल सचिवालय ने महाविद्यालयों में जाँच–कार्य आगे भी तत्परतापूर्वक संचालित करने को कहा है। ज्ञातव्य है कि राज्यपाल सचिवालय द्वारा सभी कुलपतियों, प्रतिकुलपतियों, कुलसचिवों एवं महाविद्यालय–निरीक्षकों को प्रत्येक माह दो–दो महाविद्यालयों का विहित–प्रपत्र में विन्दुवार निरीक्षण करने के लिए पूर्व में ही निदेशित किया गया है।

.....